न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(गौरव अग्रवाल,आई0ए0एस0द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 37/2020
प्रविष्टि दिनांक 8-7-2020

कान पुत्र जगन्नाथ जाति गुर्जर निवासी इस्लामनगर तहसील उनियारा जिला टोंक राज0
—अपीलाण्ट

बनाम

नायब तहसीलदार सोप जिला— टोक
—रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व निर्णय नायब तहसीलदार सोप दिनांक 28—11—2019 मिसल सं0 319/2019

उपस्थिति : (1) श्री विजयबहादुरसिंह अपीलान्ट
(2) श्री जुगनू शर्मा,राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेण्ट

निर्णय दिनांक 24—2—2021

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सोप ने अपने निर्णय दिनांक 28—11—2019 के द्वारा अपीलान्ट को राजकीय भूमि खसरा नम्बर 211 रकबा 1.48 है0 वाके ग्राम इस्लामनगर पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानकर भूमि से बेदखल करने 97/रूपये की पेनल्टी कायम कर 90 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित करने का आदेश दिया है। अपीलान्ट ने नायब तहसीलदार सोप के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी रेस्पोडेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने दोराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलान्ट को नायब तहसीलदार सोप द्वारा निर्णय से पूर्व नोटिस नहीं दिया है ओर नोटिस पर अपीलान्ट की विधिवत् व्यक्तिशः तामिल नही हुई है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट को बिना सुने व बिना साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर प्रदान किये बिना एक पक्षीय निर्णय पारित करने में गलती की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करने से पूर्व मौके की वास्तविक रिपोर्ट प्राप्त नहीं की है ओर न ही स्वय द्वारा मौका देखा गया है। अपीलाण्ट का उक्त भूमि पर कोई कब्जा नहीं है। पटवारी द्वारा दुर्भावना पूर्वक अपीलाण्ट के विरूद्ध रिपोर्ट दी गई है जिसके आधार पर ही उक्त निर्णय पारित किया गया है। अपीलाण्ट के पटवारी हल्का से जिरह करने

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav Agrawal
Date: 2021.04.06 11:12:23 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
टोंक

Scanned by CamScanner

का अवसर नहीं दिया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर नायब तहसीलदार ने विश्वास करके जो निर्णय पारित किया है वह निरस्त योग्य है। अपीलान्ट के अभिभाषक का यह भी कथन है कि नायब तहसीलदार ने अपीलान्ट को एक ही निर्णय के द्वारा तीन सजाऐं क्रमशः बेदखल करने पेनल्टी कायम करने व सिविल कारावास की सजा का निर्णय पारित किया है कानूनन इस प्रकार एक ही निर्णय द्वारा सारी सजायें एक साथ दिये जाने का प्रावधान नहीं है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दोषपूर्ण होने से निरस्तनीय है। अपीलान्ट को निर्णय की जानकारी नहीं हुई थी जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय की नकल लेकर मय दफा–5 के प्रार्थना पत्र के साथ अपील प्रस्तुत कर रहा है।

अपीलान्ट के अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि विवादित भूमि खसरा नम्बर 211 रकबा 1.48 है0 वाके ग्राम पायगा इस्लामनगर पर अपीलान्ट ने कब्जा कर उडद की फसल काश्त कर कब्जा किया है। अपीलान्ट को नोटिस जारी कर सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया है, नोटिस पर उसके पुत्र की तामील हुई है। अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुआ है तथा उसके अपना अतिक्रमण होना स्वीकार किया है। अपीलान्ट ने इस भूमि पर पहले भी अतिक्रमण किया था जिसे अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली सं0 1114/2018 निर्णय दिनांक 21–12–2018 से बेदखल किया गया था। अपीलान्ट ने अब पुनः अतिक्रमण किया है। अपीलान्ट सार्वजनिक उपयोग की राजकीय भूमि पर बार–बार अतिक्रमण करने का आदी है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एंव उचित है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया एंव अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अपीलान्ट ने राजकीय भूमि खसरा नम्बर 211 रकबा 1.48 है0 वाके ग्राम इस्लामनगर पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण किया है। अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया गया है। अपीलाण्ट की विधिवत रूप से उसके पुत्र पर तामील नहीं हुई है। अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 28–11–2019 को उपस्थित हुआ है ओर उसके अपना अतिक्रमण होना स्वीकार किया है। अपीलान्ट ने इस भूमि पर पहले भी अतिक्रमण किया था जिसे अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली सं0 1114/2018 निर्णय दिनांक 21–12–2018 से बेदखल किया गया था। अपीलान्ट ने अब पुनः अतिक्रमण किया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

फलतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 28–11–2019 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 24–2–2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गौरव अग्रवाल)
जिला कलेक्टर, टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक

Signature Not Verified

Digitally signed by Gaurav Agrawal
Date: 2021.04.06 11:12:23 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner